न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **235/2023**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

मंजु देवी पत्नी कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1– नन्दा पिता मोती जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
2– जगदीश पिता उगमा जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
3– रामलाल पुत्र घीसू जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
4– भंवर पुत्र घीसू झंवर बोरड़ा हाल शाहपुरा तहसील शाहपुरा
5– महेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल शर्मा निवासी बोरड़ा बावरियान
6– तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा
7– उगमलाल पिता बालु जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री अनिल कुमार शर्मा**
अधिवक्ता प्रार्थीया

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **05/02/2024**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 1365 रकबा 0.03 है0, 1366 रकबा 0.54 है0, 1370 रकबा 0.63 है0** कुल **किता 3** रकबा **1.20** हैक्टेयर की प्रार्थीया सह खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा** संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीया की सह खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **बोरड़ा** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त सह खातेदारी की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 1365 रकबा 0.03 है0 की किस्म क्रमशः गेमु. रास्ता होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 2 रकबा 1.17 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **500/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05/02/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा